vinetur

भारत ने यूके व्यापार समझौते की पहली परीक्षा में स्कॉच के 80 से अधिक कंटेनर रोके

सीमा शुल्क जांचकर्ताओं ने थोक आयात को सांद्र उत्पाद माना है, जिन पर समझौते की 75% दर के बजाय 150% शुल्क लागू होता है

बुधवार, 11 नवंबर 2026



रॉयटर्स की बुधवार, 11 नवंबर को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय सीमा शुल्क अधिकारियों ने Pernod Ricard और Diageo द्वारा थोक में आयात की गई स्कॉच व्हिस्की के दर्जनों कंटेनर रोक रखे हैं। मामले से परिचित चार लोगों और सरकार के एक गोपनीय ज्ञापन के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि जांचकर्ता कंपनियों की अपेक्षित 75% दर के बजाय 150% शुल्क लगाने पर जोर दे रहे हैं।

यह विवाद जुलाई में लागू हुए व्यापार समझौते की पहली बड़ी परीक्षा बन गया है। सवाल यह है कि ब्रिटेन से आयात किए जाने वाले थोक स्कॉच सांद्र उत्पादों को भारत में किस श्रेणी में रखा जाए—इनका इस्तेमाल बाद में भारत में व्हिस्की ब्रांड बनाने के लिए होता है। आयातकों का कहना है कि इन खेपों पर समझौते के तहत उपलब्ध 75% की कम शुल्क दर लागू होनी चाहिए। वित्त मंत्रालय के अधीन भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय के जांचकर्ताओं का तर्क है कि ये उत्पाद

इस रियायत के पात्र नहीं हैं, क्योंकि ये बोतलबंद तैयार स्कॉच नहीं हैं; इसलिए इन पर 150% शुल्क लगना चाहिए।

रॉयटर्स के मुताबिक, इस गतिरोध के चलते Pernod Ricard के 40 से अधिक और Diageo के 40 से अधिक कंटेनर भारतीय बंदरगाहों पर अटके हुए हैं। समाचार एजेंसी के हवाले से एक सूत्र ने बताया कि Bacardi के पांच कंटेनर भी रोके गए हैं। विवाद का समाधान होने तक कंपनियां ऊंचा शुल्क चुकाने को तैयार नहीं बताई जा रही हैं, जिससे स्थानीय विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाली स्पिरिट्स की आपूर्ति बाधित होने का जोखिम बढ़ गया है।

रॉयटर्स के अनुसार, सीमा शुल्क जांचकर्ताओं का रुख बुधवार, 4 नवंबर के एक गोपनीय ज्ञापन में सामने रखा गया था, जिसकी समीक्षा समाचार एजेंसी ने की। ज्ञापन में पूरे भारत के सीमा शुल्क आयुक्तों को निर्देश दिया गया कि वे उस गलत सीमा शुल्क वर्गीकरण के तहत आयात की जा रही थोक स्कॉच पर 150% शुल्क लगाना जारी रखें, जिसे जांचकर्ता गलत मानते हैं। इसमें कहा गया कि आयातक उन उत्पादों के लिए व्यापार समझौते के लाभ का "गलत तरीके से" दावा कर रहे हैं, जिन्हें "यौगिक अल्कोहलिक तैयारियों" की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। इस श्रेणी पर 1 मई से ऊंचा शुल्क लागू है।

ज्ञापन के मुताबिक, जांच के दायरे में आने वाले सामान तैयार व्हिस्की, ब्रांडी या रम नहीं हैं, बल्कि सांद्र उत्पाद या यौगिक तैयारियां हैं, जिन्हें आयात के बाद आगे की विनिर्माण प्रक्रिया से गुजारा जाता है। जांचकर्ताओं ने कहा कि गलत वर्गीकरण से सरकार के राजस्व पर व्यापक और बार-बार पड़ने वाले असर हो सकते हैं।

वित्त मंत्रालय की जांच शाखा ने यह सख्त रुख ऐसे समय अपनाया है, जब कुछ ही दिन पहले शराब कंपनियों को लगा था कि उन्हें भारत सरकार के एक अन्य हिस्से से आश्वासन मिला है। रॉयटर्स ने बताया कि उद्योग की पैरवी के बाद वाणिज्य मंत्रालय ने सोमवार, 2 नवंबर को वरिष्ठ अधिकारियों से कहा था कि भारत व्यापार समझौते का सम्मान करेगा और विवाद को जल्द सुलझाने की कोशिश करेगा। इस संदेश के बाद Pernod Ricard और Diageo समेत कंपनियों को उम्मीद थी कि 75% की कम शुल्क दर लागू होगी।

दोनों मंत्रालयों के विरोधाभासी संकेतों से इस बात को लेकर अनिश्चितता और बढ़ी दिखती है कि समझौता व्यवहार में कैसे लागू होगा। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि वित्त और वाणिज्य मंत्रालय उचित समाधान पर चर्चा कर रहे हैं। भारत के वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और राजस्व खुफिया निदेशालय ने रॉयटर्स की टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। Pernod Ricard और Diageo ने भी टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।

इन खेपों का महत्व इसलिए है क्योंकि भारत स्थानीय स्तर पर मिश्रण और बोतलबंदी के जरिए बेचे जाने वाले स्कॉच-संबंधित उत्पादों के दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। रॉयटर्स ने बताया कि मात्रा के हिसाब से ब्रिटेन से आने वाली स्कॉच व्हिस्की का लगभग 80% आयात भारत में थोक रूप में होता है। इस आयातित माल का इस्तेमाल इंडियन-मेड फॉरेन लिकर बनाने में किया जाता है। यह ऐसी श्रेणी है जिसमें घरेलू बाजार में बिक्री के लिए स्कॉच की थोड़ी मात्रा को अन्य स्पिरिट्स और सामग्रियों के साथ मिलाया जाता है।

व्यापार के व्यापक दांव भी बड़े हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में भारत को स्कॉच का निर्यात कुल $335 million रहा। Scotch Whisky Association ने कहा है कि व्यापार समझौते से पांच वर्षों में यह आंकड़ा $1.34 billion बढ़ सकता है। ऐसे में शुल्क का वर्गीकरण ब्रिटिश निर्यातकों और भारत में कारोबार कर रहे बहुराष्ट्रीय शराब समूहों के लिए अहम मुद्दा है।

इस विवाद से व्यापक शराब उद्योग में भी चिंता पैदा हुई है। रॉयटर्स के मुताबिक, International Spirits and Wines Association of India ने निजी तौर पर नई दिल्ली को चेताया कि यह असहमति भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच बातचीत से तय हुए बाजार पहुंच के एक अहम लाभ को कमजोर कर सकती है। एसोसिएशन की चिंता इस आशंका को दर्शाती है कि कागज पर शुल्क रियायत होने के बावजूद कंपनियों को देरी और अधिक लागत का सामना करना पड़ सकता है, अगर सीमा शुल्क अधिकारी और व्यापार अधिकारी नियमों को अलग-अलग ढंग से लागू करें।

यह टकराव टैरिफ और करों को लेकर भारत तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच जारी व्यापक तनाव की पृष्ठभूमि में हुआ

है। रॉयटर्स ने कहा कि भारत में विदेशी निवेशकों को सीमा शुल्क और कर संबंधी दावों पर कई अन्य चर्चित विवादों का भी सामना करना पड़ा है, जिनमें Samsung और Volkswagen से जुड़े मामले शामिल हैं। मौजूदा मामले में, कर अधिकारियों ने हाल के हफ्तों में Pernod Ricard और Diageo समेत कई कंपनियों के कार्यालयों की तलाशी ली है और जांच के तहत अधिकारियों से पूछताछ की है।

विवाद सार्वजनिक होने के बाद निवेशकों की प्रतिक्रिया नकारात्मक रही। Diageo की भारतीय इकाई United Spirits के शेयर बुधवार, 11 नवंबर को 1.5% गिरकर बंद हुए। फ्रांस में Pernod Ricard के शेयर 1.1% नीचे आए, जबकि लंदन में शुरुआती कारोबार के दौरान Diageo के शेयर 1.3% नीचे थे। बाजार की इस प्रतिक्रिया से यह चिंता झलकी कि बंदरगाहों पर लंबे समय तक देरी और शुल्क के 75% से बढ़कर 150% होने की आशंका से आपूर्ति शृंखलाओं और मुनाफे पर असर पड़ सकता है—हालांकि सीमा शुल्क का अंतिम वर्गीकरण अभी तय नहीं हुआ है।